

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)
 (पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - श्री विद्या)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 308/25 दायर दिनांक 27/09/2025 निर्णय दिनांक 27/09/2025



क्र.सं..	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	श्री विद्या	83	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्टी स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर शुद्ध प्रविष्टी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	तहसीलदार कपासन की अनुशंशा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अनुसार राजस्व रेकार्ड में नाम श्री विद्या प.ह. 27/09/2025 खातासं. 83 में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दायर किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर (श्री विद्या) प-ह. 27/09/2025	हस्ताक्षर निरदावर श्री विद्या
			हस्ताक्षर (श्री विद्या) प-ह. 27/09/2025	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार
				पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल श्री विद्या को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदायमद करें।

तहसीलदार (प.अ.) कपासन
 तहसीलदार कपासन
 तहसीलदार (प.अ.) कपासन
 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-चितौडगाढ